



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrc@gmail.com, agricsfsrc@gmail.com

क्रमांक: — सर./कृषि/20/2023—24

दिनांक—16.02.2024

निविदा/खुली बोली सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) में रबी 2023—24 के दौरान बोये गये सरसों की फसल का 2126 एकड़ की कटाई/गहाई हेतु सीलबन्द निविदा दिनांक 24.02.2024 को सांय 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन सांय 3.30 बजे फार्म की समिति द्वारा निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदाये निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) के नाम, प्रति लॉट धरोहर राशि रुपये 20000/—(बीस हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन जो कि “नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ़” के नाम से सूरतगढ़ में देय हो के साथ देनी होगी। यदि निविदा वेबसाइट से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राशि के अतिरिक्त निविदा शुल्क रु 236/— including 18% GST (नॉन रिफण्डेबल) का ड्राफ्ट देना होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर लौटायी जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। उपरोक्त कार्य की दरें भरने के लिए निविदा फार्म अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय से रुपये 236/— (नॉन रिफण्डेबल) जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है एवं किसी भी कार्य दिवस में नियम/शर्तों की जानकारी प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक फार्म के कृषि अनुभाग से ली जा सकती है व इसकी विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। निविदादाता को निविदा भरते समय अपने पेन कार्ड/ GST की फोटोप्रति/आधार कार्ड व वर्तमान आवासीय पते हेतु फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी।

नोट: — टेण्डर दिवस को अपराहन 2.30 बजे के बाद कोई टेण्डर फार्म जारी नहीं किया जायेगा व 3.00 बजे के बाद कोई भी टेण्डर फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रभारी (उत्पादन)
कृते निदेशक

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राजस्थान)

क्रमांक:- सर/कृषि/20/2023-24

दिनांक:-

सरसों/तोरिया की कटाई/गहाई के नियम व शर्तें

1. ठेकेदार को धरोहर राशि रुपये 20000/- (प्रति लॉट) का बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाइन माध्यम द्वारा "नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ" के नाम से सूरतगढ में देय हो जमा करवाना होगा, जो कि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद वापिस की जायेगी, जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
2. सरसों व तोरिया की कटाई व इकट्ठा करने के लिए समबन्धित सफल ठेकेदार स्वयं ही मजदूरों व दराती आदि की व्यवस्था करेगा।
3. समबन्धित सफल ठेकेदार को फसल की कटाई के बाद एक मुरब्बे में चक इन्चार्ज के बताये अनुसार प्रति एकड़ एक बड़ा ढेर/मंडली लगानी होगी। एक मुरब्बे में सरसों नियमानुसार एकत्र करने के पश्चात दुसरे मुरब्बे में कटाई प्रारम्भ करनी होगी।
4. सरसों/तोरिया की गहाई (थ्रेसिंग) समबन्धित सफल ठेकेदार को टेण्डर फार्म में दी गयी दरों के अनुसार करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा। थ्रेसिंग का कार्य फसल की ढेरियाँ इकट्ठा होने के बाद 08-10 दिनों में ही पूरा करना होगा। कम्बाइन अनुपलब्धता की स्थिति में सफल निविदादाता द्वारा टोका/थ्रेसर द्वारा गहाई नहीं करवायी जायेगी।
5. अनाज को फार्म के वाहन में लादना होगा एवं खलिहान साफ करने व अन्य कार्यों की जिम्मेदारी समबन्धित सफल ठेकेदार की होगी व इसके लिए श्रमिक समबन्धित सफल ठेकेदार के होंगे, फार्म किसी भी कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध नहीं करवायेगा।
6. कार्य चक इन्चार्ज व अन्य अधिकारियों के आदेशानुसार समबन्धित सफल ठेकेदार को करना होगा तथा किसी भी प्रकार का नुकसान समबन्धित सफल ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान किया जाता है तो इसकी भरपाई समबन्धित सफल ठेकेदार से की जायेगी।
7. समबन्धित सफल ठेकेदार या उसके आदमियों से फार्म का किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ, तो फार्म कमेटी द्वारा तय किया गया हर्जाना समबन्धित सफल ठेकेदार को देना होगा।
8. व्यक्ति/ठेकेदार फार्म में काम लेगा, उसे ही कार्य पूरा करना होगा एवं यदि वह बीच में ही किसी कार्य को छोड़ता है, तब उसकी धरोहर राशि को जब्त करके फार्म के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. फार्म में कार्य के दौरान समबन्धित सफल ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक/मानव क्षति होने की स्थिति में समबन्धित सफल ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा व फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।
10. इस ठेके में यदि कोई टैक्स (राज्य/केन्द्रीय)लगतता है, तो उसे समबन्धित सफल ठेकेदार को देना होगा तथा ठेकेदार को आयकर विभाग से PAN No. आवश्यक रूप से देना होगा। यदि पार्टी का आधार कार्ड, पेन कार्ड से लिंक नहीं होगा तो नियमानुसार 20 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
11. निविदा कार्य स्वीकृति के पश्चात कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त नियम व शर्तों को सम्मिलित करते हुए ठेकेदार को रु.500/- के नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर फार्म के साथ अनुबंध करना होगा जिसका खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।
12. समबन्धित सफल ठेकेदार ठेका स्वीकृत होने के पश्चात निर्धारित समय में कार्य शुरू नहीं करता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फार्म कार्य अन्य ठेकेदार से कराने के लिए स्वतन्त्र होगा। साथ ही ठेकेदार को फार्म की काली सूची में डाल दिया जायेगा।
13. चकवाइज कटाई की तिथि चक/खण्ड प्रभारी द्वारा निर्धारित की जायेगी। तिथि सूचित करने के 24 घन्टे के अन्दर कार्य आरम्भ करना होगा। समय से कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में कार्य अन्य ठेकेदार से कराया जायेगा तथा यदि दरों में कोई अन्तर आता है तो उसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार की धरोहर राशि या बकाया बिल भुगतान से की जायेगी।
14. सरसों कटाई गहाई कार्य समय पर पूर्ण न करने की स्थिति में समबन्धित सफल ठेकेदार को फार्म द्वारा निर्धारित की गयी रिकवरी राशी फार्म में जमा करवानी होगी एवं फार्म स्वयं भी कम्बाइन एवं प्राइवेट कम्बाइन से (फार्म द्वारा निर्धारित दरो एवं नियम व ' शर्त' के अनुसार सहमति पत्र के आधार पर) सरसों/तोरिया कटाई गहाई का कार्य करवाने हेतु स्वतन्त्र होगा।
15. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है। तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है तो यह समय समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

ठेकेदार का विवरण

नाम :-

पिता का नाम :-

गांव व पोस्ट :-

जिला :-

फोन नं. :-

पेन नं./ GST no :-

ई.एम.डी राशी का विवरण

माध्यम	आनलाइन / आफलाइन
दिनांक	
चेक न./डी.डी न.	
UTR NO	

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राजस्थान)

निविदा-प्रपत्र

दिनांक:-16.02.2024

रबी 2023-24 के दौरान बोयी गयी सरसों / तोरिया की कटाई/गहाई आदि कार्यो हेतु

खण्ड न0.	चक न0	लॉट	क्षेत्र एकड़ में।	खेतों में खड़ी फसल को हाथ से काटना, एकत्रित करके मंडली बनाना (एक मंडली प्रति एकड़)	खेतों में पड़े मंडली को स्वयं की कम्बाइन में झोंकना दाने फार्म की ट्राली/ट्रक में भरना, खलिहान साफ करना व तूड़ी/स्ट्रा ले जाना		खेतों में पड़े मंडली को फार्म की कम्बाइन में झोंकना दाने फार्म की ट्राली/ट्रक में भरना, खलिहान साफ करना व तूड़ी/स्ट्रा ले जाना		खेतों में खड़ी फसल को कम्बाइन से कटाई करना एवं दाने फार्म ट्राली/ट्रक में भरना
				रुपये दर प्रति एकड़ से फार्म से लूँगा।	रुपये दर प्रति एकड़ जो फार्म में जमा कराऊँगा।	रुपये दर प्रति एकड़ से फार्म से लूँगा।	रुपये दर प्रति एकड़ जो फार्म में जमा कराऊँगा।	रुपये दर प्रति एकड़ से फार्म से लूँगा।	रुपये दर प्रति एकड़ से फार्म से लूँगा।
सरसो									
खण्ड-4	42 पीबीएन	I	112.0						
	42 पीबीएन	II	88.0						
	42 पीबीएन	III	82.5						
	43 पीबीएन	I	110.0						
	43 पीबीएन	II	90.0						
	44 पीबीएन	I	99.0						
	44 पीबीएन	II	101.0						
	45 पीबीएन	I	96.0						
	46 पीबीएन	I	115.0						
	46 पीबीएन	II	88.0						
	कुल		981.5						
कुल खण्ड-4			981.5						
	सरसो								
खण्ड-5	47 पीबीएन	I	220.0						
	47 पीबीएन	II	105.5						
	48 पीबीएन	I	250.0						
	48 पीबीएन	II	83.0						
	49 पीबीएन	I	156.0						
	50 पीबीएन	I	205.0						
	52 पीबीएन	I	125.0						
	कुल		1144.5						
कुल खण्ड-5			1144.5						
कुल फार्म-			2126.0						

टेकेदार के हस्ताक्षर

